न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री नेहा राजपूत (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2026

1. श्यामलाल पुत्र बाबूलाल जाति रेगर निवासी ग्राम विजयनगर पाल बीचला तहसील एवं जिला अजमेर राज.।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 06/4/2026

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह राठौड

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह राठौड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम चुन्दडी पटवार हल्का बडगांव भू.अ.नि पाटन स्थित खसरा संख्या 627/609 रकबा 0.5572 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थी/खातेदारान के आने–जाने के लिये एवं कृषि यंत्र, अपने मवेशियों, अपनी फसल को निराई–गुडाई करने हेतु मजदूर एवं स्वयं के आने–जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 627/609 में आने–जाने के लिये कोई भी रास्ता, लघुतम, सरल, सनिकट, अन्य कोई रास्ता नहीं हैं केवल मात्र खसरा नम्बर 203 रकबा 0.5339 हैक्टेयर किस्म गै.मु. छापर राजकीय भूमि है , अप्रार्थी संख्या 1 भू–धारी होने से एवं राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर पूर्व में ही अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 203 राजकीय भूमि अवस्थित है राजकीय भूमि के आगे सरकारी रास्ता/रोड खसरा नम्बर 500/203 है जो कि राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है तथा किस्म गै.मु. सडक है। प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 627/609 में कृषि कार्य हेतु कदमी रूप से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 203 की भूमि से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लाल रंग से दर्शित किया गया है में से आवागमन करता रहा है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। प्रार्थी सद्भाविक कृषक है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 5 (24) के तहत कृषक की श्रेणी में है। जो कृषक अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक कृषक को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये 30 फीट के रास्ता का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2013 को क्रंमाक : प. 3(52) राज–6/12/4 को जारी किया गया है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

निर्धारित किया गया है कि राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है कि "यदि कोई खातेदार को अपनी जोत तक पहुॅचने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो खातेदार राजकीय भूमि से होकर अपनी जोत तक पहुॅच सकता है खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने–जाने के लिये रास्ता चाह जा रहा है। उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुॅचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुॅचने के लिये वैकल्पिक साधन का आभाव है उक्त स्थिती में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त किया जावें। यह नियम मार्ग लघुतम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फिट से अधिक चौडा नहीं होगा रास्ते के प्रद्वत्त कि गयी भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलिखित कि जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। इस प्रकार प्रार्थी के पास में अन्य कोई सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरा नम्बर 203 किस्म गै.मु.छापर राजकीय भूमि है जिससे प्रार्थी कदमी रूप से आते–जाते रहे है अन्य कोई सुलभ रास्ता नहीं है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र राजकीय भूमि से प्राप्त रास्ता करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक रिपोर्ट भी तलब करवायी जाती है जिससे सुस्पष्ट स्थिती अवगत हो जाती है एवं किसी भी अन्य पडौसी खातेदारान से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा रहा है। भू–धारी होने से अप्रार्थी राजकीय भूमि का स्वत्व प्राप्त है इस कारण अप्रार्थी को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहूंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। यह कि प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 26.02.2026 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 627/609 में कृषि कार्य हेतु कदमी रास्ते सरकारी भूमि खसरा नम्बर 203 में से होते हुये खेत मे ट्रेक्टर लेकर जा रहे थे तब अप्रार्थी संख्या 01 के कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को आने जानें से टोका व कहा की तुम सरकारी भूमि से आते–जाते हो तो तुम्हारी शिकायत की जायेगी। तब प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक प्रावधानो के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

निरन्तर जारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम चुन्दडी पटवार हल्का बडगांव भू.अ.नि पाटन स्थित खसरा संख्या 627/609 रकबा 0.5572 हैक्टेयर भूमि में में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु खसरा नम्बर 203 किस्म गै.मु. छापर राजकीय भूमि मे से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2026 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। तहसीलदार किशनगढ द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2048 दिनांक 25.03.2026 द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चुन्दडी खसरा संख्या 627/609 रकबा 0.5572 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी काबिज है, प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि में कृषि कार्य हेतु आवागमन बाबत अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है, कोई लघुत्तम, सरल सन्निकट रास्ता है नहीं है। प्रार्थी की आराजी के उत्तर पूर्व में ही राजकीय भूमि खसरा संख्या 203रकबा 0.5339 हैक्टैयर, किस्म गै.मु. छापर भूमि स्थित है, राजकीय भूमि के आगे सरकारी रास्ता रोड खसरा संख्या 500/203 स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान में नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 203 गै.मु. छापर राजकीय भूमि पर कदमी रास्ता चालू है। प्रार्थी के कृषि कार्य हेतु आवागमन बाबत राजकीय भूमि खसरा संख्या 203 में से 0.0243 हैक्टैयर भूमि अवाप्त की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 42,14,300/– प्रति हैक्टैयर के अनुसार 02, 04, 815/– अक्षरे दो लाख चार हजार आठ सौ पन्द्रह होगी।

3. तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये एकमात्र रास्ता खसरा संख्या 203 में दिया जा सकता है, जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0243 हैक्टेयर अधिग्रहित की जायेगी, प्रस्तावित रास्ता रकबा 0.0243 हेक्टेयर स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 627/609 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा । अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा राजकीय भूमि खसरा संख्या 203 किस्म गै0मु0 छापर में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी. एल.सी. दर के अनुसार ख0नं0 203 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0243 हेक्टेयर भूमि की निर्वापित राशि 02, 04, 815/– अक्षरे दो लाख चार हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थीगण को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 02, 04, 815/– अक्षरे दो लाख चार हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये मात्र, तहसीलदार किशनगढ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2026/2048 दिनांक 25.03.2026 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा के अनुसार रकबा 0.0243 हैक्टैयर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें।

आदेश हमारे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06/4/2026. को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Rajput

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

C. NO. 53/2016 अन्वान श्यामलाल vs TOR

X

06/4/2016 पत्रावली पेश हुई वकील पत्रावादी उप. वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र धारा 251(A) पर बहस सुनी गई

बहस पर मनन किया गया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (A) R.T.A. को स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से टंकित कर पत्रावली मे शामिल किये गये प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर नत्थी ... हो

Rajput

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़